उत्तर मध्य रेल

पत्रांक– मेड / आ0छा0 / मान्यता / सी.टी. स्केन, एमआरआई / 2021
दिनांक– 29.04.2021

कार्यालय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

मंडल रेल चिकित्सालय, उत्तर मध्य रेलवे, आगरा छावनी में बर्हिस्रोतों द्वारा सीटी स्केन, एमआरआई, ईको, 2डी, टीएमटी, होल्टर, मेमोग्राफी एवं ई.ई.जी. जाँच सेवाएं प्रदान करने हेतु विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर मध्य रेल, आगरा सीटी स्केन, एमआरआई, ईको, 2डी, टीएमटी, होल्टर, मेमोग्राफी एवं ई.ई.जी.जाँच से सम्बन्धित योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक सेन्टर से जो इस कार्य से सम्बन्धित अपना डायग्नोस्टिक सेन्टर चला रहे हैं ऐसे इच्छुक योग्य रेडियोलॉजिस्ट एवं डायग्नोस्टिक संचालकों से इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के दस दिन के अन्दर सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं।

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं –

1. रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चलाये जाने वाली डायग्नोस्टिक सेन्टर का आवश्यक उपकरणों से परिपूर्ण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला – आगरा द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
2. डायग्नोस्टिक सेन्टर की सेवाएं सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित होना चाहिये, जो एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य अर्थात अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष की अनुबन्धित अवधि में अपरिवर्तनीय होगी।
3. रेलवे रोगियों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / आगरा द्वारा किए गये काउंटर हस्ताक्षर उपरान्त रैफर पत्र के साथ आपके पास जाँच हेतु भेजा जायेगा।
4. अधिकृत रेल चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैफर रेल कर्मचारी, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
5. भुगतान की पद्वति सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की दरों पर आधारित रेट लिस्ट द्वारा होगी।
6. समस्त विवादों का निराकरण महाप्रबंधक / उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद द्वारा Arbitration Act (26) 1996 की धारा के प्रसंग में नियुक्त आर्बीट्रेटर द्वारा किया जायेगा। निर्णय अमान्य होने की दशा में विवाद की अपील महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेल, इलाहाबाद के समक्ष की जायेगी। जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा। असहमति की दशा में प्रकरण जिला न्यायालय, आगरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
7. नामांकन प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेरठ द्वारा सीजीएचएस (नॉन–एनएबीएल) 2014 मेरठ की रेट लिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, एक सील बन्द लिफाफा के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0म0रे0, आगरा छावनी (उ0प्र0) 282001 के कार्यालय में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने पर 10 दिन के अन्दर समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा करें।
8. नजदीकी डायग्नोस्टिक सेन्टर को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. यह अभिरूचि की अभिव्यक्ति 02 वर्ष तक मान्य रहेगी।
10. एम.ओ.यू. (मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेण्डिंग) 01 वर्ष के लिये जायेगा। अगली अवधि विस्तार डायग्नोस्टिक सेन्टर के संतोषजनक कार्य के आधार पर किया जायेगा।
11. दो वर्षों तक दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। दरों में बदलाव केवल तभी संभव है जब सी.जी. एच.एस. रेटों में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परिवर्तन किया जाये।
12. मंडल रेल चिकित्सालय, आगरा छावनी की आवश्यकता अनुसार मांग पर डायग्नोस्टिक सेन्टर द्वारा मुफ्त में एम्बुलेन्स सर्विस दी जाये।

(नोटः जो भी उपरोक्त सभी सेवायें दे सकते हैं वे ही आवेदन करें)।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उ0म0रे0, आगरा